न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 48/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. रामकरण पुत्र श्रीकृष्ण
2. दयाकृष्ण पुत्र जगन्नाथ जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री बृजमोहन गोयल अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक–11.11.2024

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख0नं0 4446 रकबा 0.82 है., 4447 रकबा 0.17 है., 4484 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 1.04 है., किस्म नहरी I ग्राम सीसवाली तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014–23 में खसरा नंबर 2357 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 4446 रकबा 0.82 है., 4447 रकबा 0.17 है., 4484 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 1.04 है., किस्म नहरी I कायम किये जाकर उक्त भूमि अवैधानिक रूप से रामकरण पुत्र श्री कृष्ण, दयाकृष्ण पुत्र जगन्नाथ जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण सीसवाली के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069–72 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से दिनांक 20.08.2015 को अभिभाषक श्री मदनगोपाल केवड़ा (मृतक) का वकालतनामा पेश हुआ तथा अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से अभिभाषक दिनांक 10.01.2018 को जवाब रेफरेंस इस आशय का पेश हुआ कि सम्वत् 2014 कालीन आराजी खसरा नंबर 2357 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमिहीन व्यक्ति को नियमानुसार आवंटित कर कब्जा दिया गया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.02 10:17:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

तब से लेकर अद्यतन उक्त भूमि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि समतल कृषि योग्य एवं उपजाउ है जिसे अप्रार्थी ने काबिल काश्त बनाया है। उक्त भूमि किसी भी प्रकार से याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अंतर्गत नहीं आती है। मौके पर दूर दूर तक तलाई या भूमि में पानी का भराव नहीं है। यह भूमि किसी भी प्रकार से रेफरेन्स की तारीफ में नहीं आती है। बवक्त आवंटन भी तलाई के रूप में इसका उपयोग नहीं था यह भूमि सर्वथा कृषि योग्य है। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे। दौराने विचारण अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक का निधन होने पर अप्रार्थीगण को पुनः जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाकर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

3— दौराने बहस भी अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014—23 में खसरा नंबर 2357 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 4446 रकबा 0.82 है., 4447 रकबा 0.17 है., 4484 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 1.04 है., किस्म नहरी I कायम कर अवैधानिक रूप से रामकरण पुत्र श्री कृष्ण, दयाकृष्ण पुत्र जगन्नाथ जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण सीसवाली के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069—72 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4— हमने पेरोकार सरकार की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014—23 ग्राम सीसवाली में विवादित आराजी खसरा नंबर 2357 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका रामकरण पुत्र श्री कृष्ण, दयाकृष्ण पुत्र जगन्नाथ जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण सीसवाली को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044—63 नये खसरा नम्बर 4446 रकबा 0.82 है., 4447 रकबा 0.17 है., 4484 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 1.04 है., किस्म नहरी I बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार रामकरण पुत्र श्री कृष्ण, दयाकृष्ण पुत्र जगन्नाथ जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण सीसवाली को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। रामकरण पुत्र श्री कृष्ण, दयाकृष्ण पुत्र जगन्नाथ जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण सीसवाली को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अ[illegible] पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये ज[illegible]देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि वि[illegible]रने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषि[illegible] किया जाना उ[illegible]मझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.02 10:17:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर न्यायालय बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम सीसवाली में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 4446 रकबा 0.82 है., 4447 रकबा 0.17 है., 4484 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 1.04 है., किस्म नहरी I जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 2357 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका रामकरण पुत्र श्री कृष्ण, दयाकृष्ण पुत्र जगन्नाथ जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण सीसवाली को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 11.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.02 10:17:10 IST
Reason: SelfAttested